बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

आदेश

मो0 सर्फुद्दीन, तत्कालीन कार्यालय परिचारी, जिला खनन कार्यालय, कैमूर सम्प्रति निलंबित अंचल कार्यालय, पटना के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या–024 / 2022, दिनांक 30.05.2022, धारा–7(a)(c) / 12 भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) के तहत ₹1,00,000 / –(एक लाख) रूपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होने एवं आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना में कारा निरोध होने के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक 2753 दिनांक 13.06.2022 से उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(2)(क) के तहत कारा निरोध की तिथि 30.05.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया। जेल से रिहा होने के पश्चात् उनके द्वारा जिला खनन कार्यालय, कैमूर में दिनांक 06.01.2023 को योगदान दिया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक 882 दिनांक 17.02.2023 से उन्हें योगदान की तिथि से पुनः निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय, अंचल कार्यालय, पटना निर्धारित किया गया। मो0 सर्फुद्दीन के द्वारा वाहन विमुक्ति हेतु वाहन मालिकों से साँठ–गाँठ कर नाजायज ढ़ंग से वसूली किये जाने से संबंधित ठोस साक्ष्य को देखते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत आदेश ज्ञापांक 3610 / एम0 दिनांक 11.07.2023 से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यवाही में श्रीमती मेनका सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया। विभागीय आदेश ज्ञापांक 5523 दिनांक 16.11.2023 से श्रीमती मेनका सिंह के स्थान पर श्री सुरेश प्रसाद, विशेष कार्य पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक 4371 दिनांक 16.10.2024 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपित कर्मी मो0 सर्फुद्दीन के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाये जाने का अभिमत दिया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन / मंतव्य के आधार पर विभागीय पत्रांक 1499 / एम0 दिनांक 10.03.2025 तथा स्मार पत्र 2021 दिनांक 03.04.2025, 2979 दिनांक 30.05.2025 एवं 4273 दिनांक 06.08.2025 से मो0 सर्फुद्दीन से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–18(3) के तहत कारण पृच्छा की गई, जिसके आलोक में मो0 सर्फुद्दीन द्वारा दिनांक 12.08.2025 को प्रत्युत्तर / कारण पृच्छा समर्पित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित कर्मी मो0 सर्फुद्दीन से प्राप्त प्रत्युत्तर / कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि मो0 सर्फुद्दीन, तत्कालीन कार्यालय परिचारी द्वारा कैमूर जिला खनन कार्यालय में पदस्थापन के दौरान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक 30.05.2022 को परिवादी श्री योगेश साह, पिता–स्व0 हरिवंश साह, ग्राम–पंडूरी, थाना–नासरीगंज, जिला–रोहतास से उनके ट्रक संख्या–BR24GA-9218 को

मुक्त करने के एवज में मांगे गये घूस की राशि ₹1,00,000/–(रूपये एक लाख) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मो0 सर्फुद्दीन का उनके पद, आचरण एवं कर्तव्य का सर्वथा दुरूपयोग करते हुए नाजायज तरीके से धर्नाजन किये जाने का यह कृत्य गंभीर कदाचार की परिधि में आता है।

4. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मो0 सर्फुद्दीन, तत्कालीन कार्यालय परिचारी, जिला खनन कार्यालय, कैमूर सम्प्रति निलंबित अंचल कार्यालय, पटना द्वारा कैमूर जिले में पदस्थापन के दौरान परिवादी श्री योगेश साह से ₹1,00,000/–(रूपये एक लाख) के रिश्वत की मांग की गई तथा उक्त राशि के साथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावा दल द्वारा उन्हें रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। एक लोक सेवक के द्वारा किसी भी व्यक्ति से सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु रिश्वत की मांग करना तथा उसे स्वीकार करना भ्रष्टाचार का स्पष्ट द्योतक है जिसके लिए मो0 सर्फुद्दीन को तत्काल प्रभाव से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के **नियम–14(xi) के अन्तर्गत "सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी"** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह0/–
(पीयूष कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(आ0)–04/2022(खण्ड–1)–..................एम0, पटना, दिनांक–...................
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(आ0)–04/2022(खण्ड–1)–..................एम0, पटना, दिनांक–...................
प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, कैमूर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(आ0)–04/2022(खण्ड–1)–..................एम0, पटना, दिनांक–...................
प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(आ0)–04/2022(खण्ड–1)–..................एम0, पटना, दिनांक–...................
प्रतिलिपिः–सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(आ0)–04 / 2022(खण्ड–1)–..................एम0, पटना, दिनांक–....................
प्रतिलिपिः–मो0 सर्फुद्दीन, निलंबित कार्यालय परिचारी, अंचल कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0(आ0)–04 / 2022(खण्ड–1)–5160 एम0, पटना, दिनांक–15/09/25
प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक कोषांग / अपर सचिव कोषांग / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / अराजपत्रित स्थापना शाखा (क्षेत्रीय) / आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/25

सरकार के अवर सचिव

15.9.25